

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक : 6/प्रा0 जं0 1-101/2015 268(का0) पटना : 15 दिनांक : 10/11/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व / दरभंगा / छपरा।

विषय वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2015-16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निमित्त चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 150.00 लाख रुपये (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निमित्त चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक 6/प्रा0 जं0 1-101/2015 1777 दिनांक 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 150.00 लाख रुपये (एक करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का प्रमण्डलवार आवंटन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	पंचायतों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	अंकों में	आवंटित राशि (लाख रुपये में)
						शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	पटना पूर्व	116	580	30.00	तीस लाख रुपये मात्र।
2	दरभंगा	दरभंगा	324	1620	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
3	साधु	छपरा	326	1630	100.00	एक करोड़ रुपये मात्र।
		कुल	766	3830	150.00	एक करोड़ पचास लाख रुपये मात्र।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष 4215 जलापूर्ति तथा साफाई पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 01 जल पूर्ति लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या 36 उप शीर्ष 0111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवैल्स, कूप, गलकूप द्वारा) विपत्र कोड 36 4215017890111 विषय शीर्ष 0111.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वितीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्मित सभी सरकारों आदेश के अनुसूच किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसूचित निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना का दूसरे मंड में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक एग0 04 05/98 2561 (वि0 2) दिनांक 17 04 98 के अधीन निकारी हेतु विमुक्त है।

6. कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव

संख्यांक : 268 (10/11/17)

पटना, दिनांक : 10/11/17

- प्रतिलिपि महासंस्थाकार (लिखा एवं हस्ताक्षरी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / दरभंगा / सारण को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. जिला पदाधिकारी, पटना / दरभंगा / सारण / उप विकास आयुक्त, पटना / दरभंगा / सारण को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. कोषागार पदाधिकारी, पटना / दरभंगा / छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
 6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, दरभंगा / अधीक्षण अभियन्ता, छपरा / कार्यपालक अभियन्ता सह नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0 1) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित सचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव

ke

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)